गाय आपके द्वार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.
केम्प बानसेन

दिनांक : 23–06–2017

प्रकरण संख्या –05 / 2017

उनवान

1 प्रथी पुत्री नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर
2 लेहरी पुत्री नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर

..... अपीलार्थीगण

।। बनाम ।।

1 दाखी पुत्री नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर
2 भगवानलाल पिता नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर
3 बद्री पिता नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर
4 नारायणी पत्नि नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर
5 श्रीमान तहसीलदार सा0 तहसील भदेसर
6 श्रीमान सरपंच सा0 ग्राम पंचायत बानसेन

..... रेस्पोडेण्डस्

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 188 दिनांक 15.06.1989 ग्राम पंचायत बानसेन

उपस्थित – श्री औकारलाल रायका वकील अपीलार्थी

अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुरा के नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 15–6–1989 पर पारीत निर्णय से असन्तुष्ठ होकर अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई कि –

1. यह की वाके मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का बानसेन तहसील भदेसर में खाता सं0 60 जिसके आराजी नं. निम्न प्रकार हैं।

आराजी सं0	रकबा / है0	लगान रूपये
367	0.30	4.20
368	0.78	10.92
कुल किता 02	कुल रक़बा 1.08 है0	कुल लगानी 15.12

साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 पैश है।

23.6.17

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

2. यह कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पारीवारीक सजरा निम्न प्रकार पैश है।

नन्दा

भागीरथ....	भगवान...	बद्रीलाल....	पृथी....	लेहरी...	दाखी....	नारायणी
ला औलाद फोत	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पत्नि

3. यह कि अपीलान्ट नन्दा पिता मोती जाती गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर की जांयदा पुत्रीयां होकर उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत से अधिनस्थ पटवार हल्का एवं ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा विरासत से नामान्तरण संख्या 188 दिनांक 15.06.1989 द्वारा नामान्तरण रेसपोडेन्ट व मृतक भागीरथ के नाम पर खोला जाकर फैसल कर दिया गया जबकि अपीलान्टगण नन्दा की जायंदा पुत्रीयां होकर उनके नाम पर नामान्तरण नही खोला गया जब कि उक्त विरासत से नामान्तरण अपीलान्ट संख्या 1 से 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के वर्तमान में मृतक भागीरथ के नाम पर खोला जाना चाहिये था इस कारण उक्त नामान्तरकरणण अपीलान्ट के हक अधिकारो के मुकाबले शून्य व निरस्त योग्य है।

4. यह की उक्त आराजीयात पुश्तैनी होकर अपीलान्टगण नन्दा की जांयदा पुत्रीया है जिस कारण उक्त आराजीयात में हक अधिकार अपीलान्ट का भी है अपीलान्ट का जन्म से ही उक्त आराजीयात में हक व अधिकार होने के कारण उक्त नामान्तरकरण निरस्त करवा कर अपीलान्ट अपना नाम भी खाते में अंकित करवाने का अधिकारी है।

5. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण खोलते समय बिना जानकारी किये अपनी मन मर्जी से नामान्तरण रेसपोडेन्ट सं0 2 से 4 व मृतक भागीरथ के नाम पर खोल दिया गया है जो कि गलत खोला गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को जानकारी पुर्व में नही थी अभी हाल ही में दिनांक 30.01.2017 को राजस्व रेकार्ड की नकले लेने के बाद जानकारी में आया और जानकारी में होते ही अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस से कहा कि वो अपीलान्ट को अपना हक हिस्सा रिकार्ड में अंकित करावे तो रेसपोडेन्ट इन्कार हो गये और अपीलान्ट का वाद ग्रस्त आराजीयात में हक हिस्सा मानने से इन्कार कर दिया इसलिए अपीलान्ट को अपील पैश करनी पड रही है। तथा इसे निर्धारित अवधी में पैश नही कर पाने का कारण उचित व सदभावी रहा है जिसे क्षम्य फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधी शुमार की जाना न्यायोचित है जिसके लिए पृथक से आवेदन पत्र धारा 05 मियाद अवधी पैश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 15–6–1989 निरस्त कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस अर्थात अपीलान्ट संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम पर नामान्तरकरण खोला जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया बरोज पेशी रेस्पोडेन्टस संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता जाहिद रजा ने उपस्थिती दी । प्रकरण को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प– ग्राम पंचायत बानसेन पर राजीनामा की भावना से निस्तारण किये जाने हेतु पक्षकारान् को सूचना पत्र से तलब किया । बरोज राजस्व लोक अदालत केम्प दिनांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:12 IST
Reason: SelfAttested

23.6.17

Scanned by TapScanner

23–06–2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 , 3, 4. बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किए जाने के आदेश पारीत किये गये । रेस्पोडेन्टस संख्या 5 व उपस्थित जिन्होनें अपील के खण्डन में किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया । अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि हम रेस्पोडन्ट अपीलान्ट सभी नन्दा के वारीसान होकर हमारे एक भाई भागीरथ और था जिसकी लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है एवं वर्तमान में हम दो भाई भगवानलाल व बद्रीलाल तथा तीन बहने प्रथी, लेहरी व दाखी एवं हमारी माता नाराणीबाई विधिक वारीसान जीवित है इनके अलावा नन्दा जी के और कोई विधिक वारीसान नहीं है और उनकी सम्पत्ति में हम छः का समान अधिकार बनता हे लेकिन राजस्व रेकार्ड में तीनों बहनों का नाम अंकित नहीं है इस कारण मैं रेस्पोडेन्ट भगवानलाल बहनों द्वारा की गई अपील के तथ्य सही होने से स्वीकार करते हुए इस प्रकरण का लोक अदालत की भावना से आज ही निस्तारण करवाना चाहता हूँ ।

2. यह कि हम पक्षकार आज लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा कर उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं जिसमें मुझ रेस्पोडेन्ट भगवानलाल को उक्त प्रकरण के जरिये हमारी पुश्तैनी आराजीयात में मेरी बहनों का उनके हिस्से अनुसार नाम दर्ज करवाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हम पूर्ण रूप से सहमत है ।

3. यह कि राजीनामा आज राजस्व लोक अदालत केम्प बानसेन में अपनी मर्जी से लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर अपनी बहनों को उनका हिस्सा लेने पर पूर्ण सहमती देता हूं ।

4. यह कि उक्त राजीनामा बिना किसी डर दबाव प्रलोभन के मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं ।

अतःराजीनामा स्वीकार कर उक्त उनवान अपील प्रकरण स्वीकार कर हम सभी नन्दा जी के विधिक वारीसान भगवानलाल व बद्रीलाल तथा तीन बहने प्रथी, लेहरी व दाखी एवं हमारी माता नाराणी बाई का राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कर प्रकरण का आज ही लोक अदालत में निस्तारण फरमाया जावे ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पचायत बानसेन द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण पर निर्णय पारीत करते समय अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया न ही मृतक नन्दा के विधिक वारिसान की जांच पडताल की गई है । ग्रामीण पृष्ठ भूमि पर ग्राम पंचायत न्याय का एक सशक्त माध्यम होता है किन्तु अधिनस्थ ग्राम पचायत द्वारा मृतक नन्दा के विधिक वारीसान में भागीरथ, भगवाना, बद्रीलाल एवं नारायणी के नाम पर नामान्तरकरण खोला जाकर निर्णीत किया गया है जबकि मृतक नन्दा के विधिक वारीसान तीन पुत्रियां अपीलार्थी संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम नहीं जोडा

23.6.17

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

जाने की भूल की गई है । कालान्तर में नन्दा के वारीच भागीरथ की लाऔलाद फौत हो जाने नन्दा के कुल 6 विधिक वारीसान में 2 पुत्र भगवाना, बद्रीलाल 3 पुत्रीयां प्रर्थी लहरी दाखी एवं बेवा–नारायणी शेष रहने से नन्दा की सम्पत्ति में सभी का बराबर–बराबर हिस्सा बनता है । इस संदर्भ में पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया है तथा अपील का अन्तिम रूप से निराकरण भी चाहा गया है । अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्ब राजीनामा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा मौजा लक्ष्मीपुरा के नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 15–06–1989 पर पारीत ग्राम पंचायत बानसेन का निर्णय अपास्त किया जाता है । चूंकि राजीनामा में प्रस्तुत अभिवचनों से न्यायालय बाहर नहीं जा सकता है इसलिए सिविल प्रकिया संहित 1908 की धारा 107 (1) क में प्रद्वत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक नन्दा के खातेदारी में दर्ज मौजा लक्ष्मीपुरा के साबिक आराजी नम्बर 1/8 रकबा 5–00 बीघा हाल आराजी नम्बर 367, 368 किता–2 कुल रकबा 1.08 हैक्टैयर में मृतक नन्दा के विधिक वारीसान पुत्र भगवाना, बद्रीलाल एवं पुत्रीयां प्रर्थी लेहरी ,दाखी ,एवं बेवा–नारायणी का समान हक हिस्सा रखते हुए पुनः नामान्तरकरण खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे यदि किसी पक्षकार द्वारा अपना हक हिस्से में से अन्य को भूमि का हस्तान्तरण किया गया हो तो उक्तानुसार विकेता के हिस्से में से उस रकबे की कमी की जाकर केता का नाम भी दर्ज किया जावे तथा लाऔलाद फोत मृतक भागीरथ का हिस्सा नन्दा के उक्त जिवित विधिक वारीसान में समायोजित कर दिया जाने का आदेश दिया जाता है । देरी से प्रस्तुत अपील अवधि कन्डोन की जाती है । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर मजमे आम में सुनाया गया ।

23.6.17

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner